न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः रिछपाल सिंह बुरड़क, आर.ए.एस.)

प्रार्थी

श्रीमती धापुबाई पत्नी केसाजी पुरोहित, जाति- पुरोहित, निवासी- पोसीतरा, तहसील- रेवदर, जिला- सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

1. श्री रमेश कुमार गोदीपुत्र केसाजी, जाति- पुरोहित, निवासी-पोसीतरा, तहसील- रेवदर, जिला- सिरोही
2. श्री कन्हैयालाल पुत्र तलसाजी पुरोहित, निवासी- पोसीतरा, तहसील- रेवदर, जिला- सिरोही
3. ग्राम पंचाण्त, पोसीतरा जरिये सरपंच, ग्राम पंचाययत, पोसीतरा, तहसील-रेवदर

पंचायत निगरानी संख्याः 107/2017

"निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री अशोक पुरोहित, प्रार्थी की ओर से
2. अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया, अप्रार्थी संख्या-1 की ओर से

-: निर्णय :- दिनांक 16 मार्च, 2020

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी की ओर से की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, पोसीतरा द्वारा अप्रार्थी रमेश कुमार गोदीपुत्र केसाजी, जाति- पुरोहित एवं कन्हैयालाल पुत्र तलसाजी पुरोहित, निवासी- पोसीतरा के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 के अर्न्तगत पुराने गृह का विनियमितिकरण करते हुए क्षेत्रफल 6057.75 वर्गफीट आबादी भूमि का जारी विक्रय विलेख संख्या 38 दिनांक 02.2.2002 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या-1 रमेश कुमार की ओर से अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेडतिया उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी रमेश कुमार की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। जबकि अप्रार्थी संख्या- 2 व 3 को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी अप्रार्थी संख्या- 2 व 3 इस न्यायालय में उपस्थित नही हुये एवं न ही इनकी ओर से कोई अधिकृत अधिवक्ता उपस्थित हुये तथा न ही अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत हुआ।

(3) बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान निगरानी आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थीया वृद्ध महिला है एवं प्रार्थीया के पति केसाजी का वर्ष 2003 में देहानत हो चुका है। प्रार्थीया के दाम्पत्य जीवन से दो पुत्रियां है, जिसमें एक पुत्री कमला देवी का विवाह ग्राम

.....दो पर

भटाना, तहसील- रेवदर में तलकाजी पुरोहित के यहां एवं दूसरी पुत्री लीलादेवी का विवाह ग्राम पोसीतरा में महेश कुमार पोसीतरा के साथ हुआ है। दोनों पुत्रियां अपने ससुराल में सुखपूर्वक अपना गुजर बसर कर रही है। प्रार्थी के कोई जायन्दा पुत्र नही है। प्रार्थीया श्रीमती धापुबाई का पुश्तैनी आवास ग्राम पोसीतरा में आया हुआ है जिसमें प्रार्थीया वर्तमान में निवासरत है। उक्त मकान 50 वर्ष से अधिक पुराना होकर पुश्तैनी है। प्रार्थीया के पुश्तैनी आवास के चतुर्दशी उत्तर में नागाणी रोड व एक दरवाजा, दक्षिण में चेनाराम रामाजी का मकान, पूर्व में भंवरलाल तलसाजी का मकान व पश्चिम में गली 2 व आगे भगा तलसाजी का मकान स्थित है। उक्त मकान नाप उत्तर में 62 फीट, दक्षिण में 61 फीट, पूर्व में 117 फीट व पश्चिम में 80 फीट कुल क्षेत्रफल 6057.75 वर्गफीट है। यह कि प्रार्थीया के कोई जायन्दा पुत्र नही होने के कारण प्रार्थीया के पति केसाजी के भाई तसाजी पुरोहित के नैसर्गिक पुत्र अप्रार्थी रमेश कुमार को गादी पुत्र के रुप में स्वीकार किया था। रमेश कुमार ने प्रार्थीया एवं उसके वृद्ध पति केसाजी के जीवनकाल में उनके ग्रामीण परिवेश व अनपढ़ होने का फायदा उठाते हुये प्रार्थीया व प्रार्थीया के पति के उक्त नापजोख व चतुर्दशी के पुश्तैनी आवास का स्वयं रमेश कुमार व उसके नैसर्गिक भाई कन्हैयालाल पुत्र तलसाजी पुरोहित के नाम संयुक्त रुप से राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 के तहत विक्रय विलेख संख्या 38 दिनांक 02.2.2002 को जारी करवा लिया, जो विधि सम्मत नही है। उक्त सम्पति केसाजी की सम्पति है जिस पर केसाजी के सभी विधिक वारिसान प्रार्थीया व दोनों पुत्रियों का समान रुप से बराबर बराबर हक एवं हिस्सा है। उक्त सम्पति केसाजी की सम्पति होने के कारण उक्त सम्पति में रमेश कुमार के नैसर्गिक भाई कन्हैयालाल का किसी प्रकार का कोई हक अधिकार व हिस्सा नही है। यह कि अप्रार्थी रमेश कुमार ने कभी भी प्रार्थीया की सेवा श्रुसेवा नही की है। अप्रार्थी रमेश कुमार ग्राम पोसीतरा में प्रार्थीया के साथ निवास नही कर अलग से निवास करता है। प्रार्थीया एवं उसके पति केसाजी ने जिस आशय व विश्वास से अप्रार्थी रमेशकुमार को गोदीपुत्र के रुप में स्वीकार किया था, ऐसा आचरण व व्यवहार अप्रार्थी रमेश कुमार का कभी भी नही रहा है। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने प्रार्थीया की पुश्तैनी सम्पति हडप करने के नियत से ग्राम पंचायत, पोसीतरा से मेल मिलाप कर गलत रुप से विक्रय विलेख जारी करवा लिया है, जो कानूनन गलत है। यह कि प्रार्थीया अत्यधिक वृद्ध एवं स्वयं के गुजर बसर में असक्षम होने से वह अपने दोनों पुत्रियों के ससुराल में अक्सर रहने जाती है। प्रार्थीया को दिनांक 23.6.2017 को आयोजित शिविर में इस तथ्य की जानकारी हुई कि प्रार्थीया के पति केसाजी के सम्पति मकान का अप्रार्थी रमेश कुमार व कन्हैयालाल ने ग्राम पंचायत, पोसीतरा से मेल मिलाप कर वर्ष 2002 में पट्टा बनवा लिया है, जबकि अप्रार्थी रमेश कुमार अपने नैसर्गिक पिता तलसाजी पुरोहित की पुश्तैनी सम्पति में बतौर वारिसान काबिज है व तलसाजी की मृत्यु के बाद तलसाजी की कृषि भूमि के संबंध में उत्तराधिकार का नामान्तरकरण भी रमेश कुमार के हक में दायर होकर स्वीकृत हुआ है, इस कारण से अप्रार्थी रमेश कुमार का केसाजी की चल-अचल सम्पति में कानूनन कोई हक अधिकार नही बनता है। अतः प्रार्थीया का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रश्नगत पट्टे को निरस्त किया जावे एवं ग्राम पंचायत, पोसीतरा

.....तीन पर

को प्रार्थीया व प्रार्थीया की दोनों पुत्रियों के नाम से केसाजी के मकान का पट्टा जारी करने हेतु निर्देशित किया जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या-1 के विद्वान अधिवक्ता ने जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि केसाराम जी की पुत्रियां कमलादेवी की आयु 64 वर्ष है एवं लीलादेवी की आयु 60 वर्ष है, जो विवाह के समय से अपने अपने ससुराल में निवास करती है। केसाराम जी के कोई जायन्दा पुत्र नही होने से प्रार्थीया व उनके पति स्व. केसाजी ने अप्रार्थी रमेश कुमार को विधि अनुसार वर्ष 1986 में गोद लिया था, इस प्रकार अप्रार्थी रमेश कुमार केसाजी का गोदी पुत्र है। प्रश्नगत पट्टे से संबंधित सम्पति अप्रार्थी संख्या- 1 व 2 के संयुक्त स्वामित्व की है एवं प्रार्थीया भी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के साथ निवास कर रही है। प्रश्नगत सम्पति प्रार्थीया के पुश्तैनी सम्पति नही है। यह कि ग्राम पंचायत, पोसीतरा ने बाद जांच नियमानुसार कार्यवाही करते हुए अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में पट्टा संख्या 38 दिनांक 02.2.2002 को जारी किया है, जिसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता या अविधिकता नही है। ग्राम पंचायत, पोसीतरा द्वारा निगरानी आवेदन में दर्ज नाप व चतुर्दशी के मकान की भूमि पट्टा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में प्रार्थीया के पति केसाजी व प्रार्थीया स्वयं की सहमति से जारी किया है एवं पट्टे पर क्रेता के रुप में केसाराम जी के हस्ताक्षर है, जिससे प्रार्थीया व प्रार्थीया के पति को प्रश्नगत पट्टे के संबंध में पूर्व से ही पूर्ण जानकारी है। निगरानी आवेदन में वर्णित आवासीय मकान की भूमि पर केसाजी व तलसाजी ने संयुक्त रुप से कब्जा किया था एवं दोनों ने मिलकर ही उक्त भूमि पर आवासीय मकान का निर्माण करवाया था। अप्रार्थी रमेश कुमार केसाजी का गोदी पुत्र होने के कारण केसाजी तथा प्रार्थीया स्वयं ने उक्त सम्पति का पट्टा अप्रार्थी रमेश कुमार के नाम से जारी करवाया है, उसके बावजूद भी प्रार्थीया ने बहकावे में आकर मनगढत तथ्यों के आधार पर यह निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया है। अप्रार्थी संख्या-1 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान विधिक दृष्टान्त 2008(2)CT(Raj.) page 1031 एवं 2012(2)DNJ(Raj,) Page 602-607 में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह भी व्यक्त किया कि जहां संबंधित अधिनियम व नियमों में मियाद अवधि निर्धारित नही है, वहां निगरानी की शक्तियों का प्रयोग युक्तियुक्त समय में ही किया जाना चाहिये। इस प्रकरण में अप्रार्थी संख्या- 1 व 2 के पक्ष में पट्टा वर्ष 2002 में जारी हुआ है एवं प्रार्थीया ने प्रश्नगत पट्टे को निरस्त कराने हेतु यह निगरानी आवेदन वर्ष 2017 में प्रस्तुत किया गया है, जो अतिशय विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीया ने निगरानी आवेदन में 15 वर्ष के इस विलम्ब के संबंध में कोई कारण नही दर्शाया है। ऐसी स्थिति में, प्रार्थी का यह निगरानी आवेदन मियाद बाहर है। अत: प्रार्थी का निगरानी आवेदन खारिज किया जावे।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा ग्राम पंचायत, पोसीतरा से प्राप्त रेकर्ड का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, पोसीतरा द्वारा पंचायत संकल्प संख्या 1 दिनांक 20.1.2002 के अनुसरण में अप्रार्थी रमेश कुमार पुत्र केसाजी एवं कन्हैयालाल पुत्र तलसाजी पुरोहित,

.....चार पर

निवासी- पोसीतरा के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 के अर्न्तगत पुराने गृह का विनियमितिकरण करते हुए क्षेत्रफल 6057.75 वर्गफीट आबादी भूमि का विक्रय विलेख संख्या 38 दिनांक 02.2.2002 को जारी किया गया है।

प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि अप्रार्थी रमेश कुमार के नैसर्गिक पिता तलसाजी है एवं अप्रार्थी रमेश कुमार को केसाजी द्वारा गोद लिया गया था। इस प्रकार, अप्रार्थी रमेश कुमार केसाजी का गोदीपुत्र है। प्रकरण में यह भी स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, पोसीतरा द्वारा अप्रार्थी रमेश कुमार व कन्हैयालाल के पक्ष में जिस आवासीय गृह की भूमि का विक्रय विलेख जारी किया गया है, वह सम्पति अप्रार्थी रमेश कुमार के स्वामित्व की सम्पति नही होकर रमेश कुमार के गोदी पिता स्वर्गीय केसाजी की सम्पति है एवं स्वर्गीय केसाजी की सम्पति में केसाजी के गोदीपुत्र रमेश कुमार के अलावा केसाजी की पत्नी एवं पुत्रियों का भी समान रुप से हक अधिकार है, लेकिन ग्राम पंचायत, पोसीतरा ने सम्पति के स्वामित्व की जांच किये बिना ही अप्रार्थी रमेश कुमार गोदीपुत्र केसाजी एवं कन्हैयालाल पुत्र तलसाजी पुरोहित, निवासी- पोसीतरा के पक्ष में विक्रय विलेख जारी किया है, जो विधि विरुद्ध है।

जहां तक, प्रार्थीया द्वारा यह निगरानी आवेदन 15 वर्ष के विलम्ब से प्रस्तुत करने का प्रश्न है? इस संबंध में यह उल्लेख करना उचित है कि अप्रार्थी पक्ष द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही की है जिससे यह साबित हो सके कि प्रार्थीया को प्रश्नगत विक्रय विलेख संख्या 38 दिनांक 02.2.2002 के संबंध में पूर्व से ही जानकारी रही हो। यहां यह उल्लेख करना भी उचित है कि विधि विरुद्ध पारित आदेशों के विरुद्ध निगरानी की शक्तियों का प्रयोग किसी भी समय किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में, उपर्युक्त सभी तथ्यों के विवेचन के अनुसार प्रार्थी का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रश्नगत विक्रय विलेख को निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, पोसीतरा द्वारा अप्रार्थी रमेश कुमार पुत्र केसाजी एवं कन्हैयालाल पुत्र तलसाजी पुरोहित, निवासी- पोसीतरा के पक्ष में जारी विक्रय विलेख संख्या 38 दिनांक 02.2.2002 को निरस्त किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरडक)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Richpal Singh Burdak
Date: 2020.03.20 11:28:16 IST
Reason: SelfAttested
Location: